रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 20] नई दिल्ली, मई 12—मई 18, 2013, शनिवार/वैशाख 22—वैशाख 28, 1935
No. 20] NEW DELHI, MAY 12—MAY 18, 2013, SATURDAY/VAISAKHA 22—VAISAKHA 28, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 125.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में निम्नलिखित आदेश करते हैं, नामत: :—

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, श्री न्यायमूर्ति पिनाकी चन्द्र घोष, जिन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपनी सेवा की उस अवधि के लिए जब वह अपने मूल उच्च न्यायालय अर्थात् कलकता उच्च न्यायालय से बाहर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रु. (नौ हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह का प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/7/2012-यू.एस. I]

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

New Delhi, the 25th February, 2013

G.S.R.125.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Pinaki Chandra Ghose, Judge, Andhra Pradesh High Court who has been appointed as Chief Justice of Andhra Pradesh High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice from outside of his parent High Court, i.e. Calcutta High Court.

[No. K. 11017/7/2012-U.S. I]

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 126.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में निम्नलिखित आदेश करते हैं, नामत: :—

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, श्री न्यायमूर्ति राजेश कुमार अग्रवाल, जिन्हें मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपनी सेवा की उस अवधि के लिए जब वह अपने मूल उच्च न्यायालय अर्थात् इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बाहर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, अपने वेतन के अतिरिक्त 8000 रु. (आठ हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह का प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/7/2012-यू.एस. I]

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th February, 2013

G.S.R. 126.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Rajesh Kumar Agrawal, Judge, Allahabad High Court who has been transferred to Madras High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 8000 (Rs. Eight thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge from outside of his parent High Court, i.e. Allahabad High Court.

[No. K. 11017/7/2012-U.S. I]

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 127.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में निम्नलिखित आदेश करते हैं, नामत: :—

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, श्री न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह, जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपनी सेवा की उस अवधि के लिए जब वह अपने मूल उच्च न्यायालय अर्थात् पटना उच्च न्यायालय से बाहर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रु. (नौ हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह का प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/7/2012-यू.एस. I]

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th February, 2013

G.S.R.127.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Shiva Kirti Singh, Judge of the Allahabad High Court who has been appointed as Chief Justice of Allahabad High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice from outside of his parent High Court, i.e. Patna High Court.

[No. K. 11017/7/2012-U.S. I]

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2013

सा.का.नि.128.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में निम्नलिखित आदेश करते हैं, नामत: :—

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, श्री न्यायमूर्ति अमिताभ रय, जिन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपनी सेवा की उस अवधि के लिए जब वह अपने मूल उच्च न्यायालय अर्थात् गुवाहाटी उच्च न्यायालय से बाहर मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रु. (नौ हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह का प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/7/2012-यू.एस. I]

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th February, 2013

G.S.R. 128.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Amitava Roy, Judge of the Gauhati High Court who has been appointed as Chief Justice of Rajasthan High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice from outside of his parent High Court, i.e. Gauhati High Court.

[No. K. 11017/7/2012-U.S. I]

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 129.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में निम्नलिखित आदेश करते हैं, नामत: :—

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, श्री न्यायमूर्ति चौक्कलिन्गम नागप्पन, जिन्हें उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपनी सेवा की उस अवधि के लिए जब वह अपने मूल उच्च न्यायालय अर्थात् मद्रास उच्च न्यायालय से बाहर मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रु. (नौ हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह का प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/7/2012-यू.एस. I]

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th April, 2013

G.S.R. 129.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Chockalingam Nagappan, Judge, Madras High Court who has been appointed as Chief Justice of Orissa High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice from outside of his parent High Court, i.e. Madras High Court.

[No. K. 11017/7/2012-U.S. I]

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 130.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में निम्नलिखित आदेश करते हैं, नामत: :—

केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, श्री न्यायमूर्ति पयस चक्कालयिल कुरियाक्कोस, जिन्हें सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपनी सेवा की उस अवधि के लिए जब वह अपने मूल उच्च न्यायालय अर्थात् केरल उच्च न्यायालय से बाहर मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रु. (नौ हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह का प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/7/2012-यू.एस. I]

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th April, 2013

G.S.R. 130.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Pius Chakkalayil Kuriakose, Judge, Kerala High Court who has been appointed as Chief Justice of Sikkim High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine thousand only) per month, for the period of his service when the performs his duties as Chief Justice from outside of his parent High Court, i.e. Kerala High Court.

[No. K. 11017/7/2012-U.S. I]

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 131.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में निम्नलिखित आदेश करते हैं, नामत: :—

बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, श्री न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर, जिन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपनी सेवा की उस अवधि के लिए जब वह अपने मूल उच्च न्यायालय अर्थात् बम्बई उच्च न्यायालय से बाहर मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रु. (नौ हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह का प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/7/2012-यू.एस. I]

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th April, 2013

G.S.R. 131.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

Shri Justice Ajay Manikrao Khanwilkar, Judge, Bombay High Court who has been appointed as Chief Justice of Himachal Pradesh High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice from outside of his parent High Court, i.e. Bombay High Court.

[No. K. 11017/7/2012-U.S. I]

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 132.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में निम्नलिखित आदेश करते हैं, नामत: :—

गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, श्री न्यामूर्ति धीरेन्द्र हीरालाल वाघेला, जिन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपनी सेवा की उस अवधि के लिए जब वह अपने मूल उच्च न्यायालय अर्थात् गुजरात उच्च न्यायालय से बाहर मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रु. (नौ हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह का प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 11017/7/2012-यू.एस. I]

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th April, 2013

G.S.R. 132.—In pursuance of Clause(2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Dhirendra Hiralal Waghela, Judge, Gujarat High Court who has been appointed as Chief Justice of Karnataka High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice from outside of his parent High Court, i.e. Gujarat High Court.

[No. K.11017/7/2012-U.S. I]

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 133.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में निम्नलिखित आदेश करते हैं, नामत :—

पटना उच्च न्यायालय की न्यायाधीश, श्रीमती न्यायमूर्ति तूम मीना कुमारी, जिन्हें मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपनी सेवा की उस अवधि के लिए जब वह अपने मूल उच्च न्यायालय अर्थात् आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से बाहर मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रु. (नौ हजार रुपए मात्र) प्रतिमाह का प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने की पात्र होंगी।

[सं. के. 11017/7/2012-यू.एस. I]

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th April, 2013

G.S.R. 133.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby to makes the following order namely :—

Smt. Justice Toom Meena Kumari, Judge, Patna High Court who has been appointed as Chief Justice of Meghalaya High Court, shall be entitled to receive, in addition to her salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine thousand only) per month, for the period of her service when she performs her duties as Chief Justice from outside of her parent High Court, i.e. Andhra Pradesh High Court.

[No. K.11017/7/2012-U.S. I]

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 134.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में निम्नलिखित आदेश करते हैं, नामत :-

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, श्री न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता, जिन्हें त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपनी सेवा की उस अवधि के लिए जब वह अपने मूल उच्च न्यायालय अर्थात् हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से बाहर मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने सेवाएं प्रदान करेंगे, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रु. (नौ हजार रुपए मात्र) प्रतिमाह का प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

[सं. के. 11017/7/2012-यू.एस. I]

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th April, 2013

G.S.R. 134.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Deepak Gupta, Judge, Himachal Pradesh High Court who has been appointed as Chief Justice of Tripura High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice from outside of his parent High Court, i.e. Himachal Pradesh High Court.

[No. K. 11017/7/2012-U.S. I]

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 135.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में निम्नलिखित आदेश करते हैं, नामत :-

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, श्री न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे, जिन्हें मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपनी सेवा की उस अवधि के लिए जब वह अपने मूल उच्च न्यायालय अर्थात् मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से बाहर मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने सेवाएं प्रदान करेंगे, अपने वेतन के अतिरिक्त 9000 रु. (नौ हजार रुपए मात्र) प्रतिमाह का प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

[सं. के. 11017/7/2012-यू.एस. I]

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th April, 2013

G.S.R. 135.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

Shri Justice Abhay Manohar Sapre, Judge, Chhattisgarh High Court who has been appointed as Chief Justice of Manipur High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 9000 (Rs. Nine thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice from outside of his parent High Court, i.e. Madhya Pradesh High Court.

[No. K. 11017/7/2012-U.S. I]

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 13 मई, 2013

सा.का.नि. 136.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान संयुक्त निदेशक (वित्तीय प्रबन्ध) भर्ती नियम, 1986 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में संयुक्त निदेशक (वित्तीय प्रबन्ध) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, संयुक्त निदेशक (वित्तीय प्रबन्ध) भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान :** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हता आदि :** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :**

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :**

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
संयुक्त निदेशक (वित्तीय प्रबन्ध)	1* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15,600-39,100 रु. + ग्रेड वेतन 7,600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
10	11
प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति :—** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15,600--39,100 रु. + ग्रेड वेतन 6,600 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पोच वर्ष सेवा की हो। (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है। **आवश्यक :—** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री; और (ii) प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों या केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों से वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र में तकनीकी तथा पद्धतियों का दस वर्ष का अनुभव जिसमें दो वर्ष का अध्यापन का अनुभव भी सम्मिलित है। **वांछनीय :—** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री।

	(11)
	(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।) **टिप्पण :**–प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किसी परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए. 12034/02/2012–आईएसटीएम]

अनिल त्रिपाठी, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 13th May, 2013

G.S.R. 136.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Institute of Secretariat Training and Management Joint Director (Financial Management) Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to have been done, before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Director (Financial Management) in the Institute of Secretariat Training and Management, Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Institute of Secretariat Training and Management, Joint Director (Financial Management) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.**—The number of the said post, its classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage, is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classfication	Pay Band and Grade Pay/ pay Scale	Whether selection post or non selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Joint Director (Financial Management)	01(2013)* *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-A Gazetted, Non Ministerial	Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100 plus Grade Pay Rs. 7,600	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment; whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption: and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, Grades from which promotion/deputation/absorption to be made.
10	11
By deputation	**Deputation :—** Officers under the Central Government : (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100 plus grade pay Rs. 6,600 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience : **Essential :—** (i) Bachelor's Degree from a recognised University; and (ii) Ten years' experience including two years teaching experience of techniques and methods in the area of financial management in Administrative Training Institutes or Central Training Institutes.

(11)

Desirable :—

Master's Degree from a recognised University.

(Period of deputation inlcuding period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

Note : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Cirsumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13
Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12034/02/2012-ISTM]

ANIL TRIPATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 मई, 2013

सा.का.नि. 137.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में आंकड़ा प्रविष्टि आपरेटर (समूह 'ग' अराजपत्रित) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग आंकड़ा प्रविष्टि आपरेटर (समूह 'ग' अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान :** पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :**

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :**

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
आंकड़ा प्रविष्टि आपरेटर	2* (2013) *कार्यानुभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सचिवालय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	18-27 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सेवकों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत किए गए अनुसार होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत, व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नही।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
7	8	9
आवश्यक :— 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य या सांख्यिकी में डिग्री। 2. किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कम्प्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र 3. आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा ईडीपी मशीनों पर गति परीक्षण का संचालन किया जाएगा। **टिप्पण 1 :**-अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

(7)
टिप्पण 2 :-अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
10	11	12	13
सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से भरी जा सकेगी जो सदृश पदधारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता है।	लागू नहीं होता	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :- 1. अवर सचिव (समन्वय), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग —अध्यक्ष 2. अवर सचिव (स्थापना बी-1), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग- —सदस्य 3. अवर सचिव (बजट), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग —सदस्य	लागू नहीं होता।

[सं. ए-12018/1/2011-प्रशा.IV]

प्रिया महादेवन, अवर सचिव

New Delhi, the 17th May, 2013

G.S.R.137.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India the President hereby makes the following rules regulating the metheod of Recruitment to the post of Data Entry Operator (Group 'C' Non Gazetted) in Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievaces and Pensions, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Department of Personnel and Training Data Entry Operators (Group 'C' Non Gazetted) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.-—The number of post, its classification, pay band and grade pay/pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.— Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.-—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, other backward class and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Data Entry Operator	2* (2013) *Subject to variation depending on workload.	General Central Secretariat Service, Group 'C', Non-Gazetted (Non-Ministerial)	PB-1 ₹ 5200-20200 with Grade Pay of ₹ 2400	Not applicable	18-27 years. (Relaxable up to 40 years in case of Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by SSC.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : 1. Degree of a recognized University with Science, Mathematics, Economics, Commerce or Statistics. 2. Diploma or Certificate in Computer Application from a recognised institution.	Not applicable	2 years

(7)
3. The speed of 8000 key depressions per hour for Data Entry Work is to be judged by conducting a speed test on the EDP machines by the Competent Authority. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualifications regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by transfer or deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by transfer or deputation, grades from which transfer/deputation is to be made
(10)	(11)
Direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incmbent being away on deputation or long leave or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officers of Central Government holding analogus posts on regular basis and possessing the qualification prescribed for Direct Recruitment under Column 7.	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee for Considering Confermation :— 1. Under Secretary (Coord.), Department of Personnel and Training —Chairman 2. Under Secretary (Establishment B-1), Department of Personnel and Training —Member 3. Under Secretary (Budget), Department of Personnel and Training —Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/1/2011-Ad. IV]

PRIYA MAHADEVAN, Under Secy.

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 138.—राष्ट्रपति एतद्द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय में वरिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन), कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन), अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) के भर्ती नियमों को जो भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 701 दिनांक 23 अगस्त, 1989 को अधिसूचित किए गए थे निष्प्रभावी करते हैं।

[फा. सं. ए-11019/01/2007-प्रशा. I]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 9th April, 2013

G.S.R. 138.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President, hereby annul the Recruitment Rules of Senior Analyst (Work Study), Junior Analyst (Work Study) and Research Assistant (Work Study) in the Ministry of Labour and Employment, which were notified in the Gazette of India *vide* G.S.R. No. 701 dated 23rd August 1989.

[F. No. A-11019/01/2007-Adm. I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 17 मई, 2013

सा.का.नि. 139.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय मीन-उद्योग परिचालन संस्थान (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1968 को जहां तक उनका संबंध मसालची, रसोइया पद से है, केन्द्रीय मीन-उद्योग प्रवर्ती (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1977 को जहां तक उनका संबंध मुख्य रसोइया और ज्येष्ठ डैक हैण्ड पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्ची में सरोइया (छात्रावास) और रसोइया श्रेणी I (जलयान) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्ची, रसोइया (छात्रावास) और रसोइया श्रेणी I (जलयान) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. रसोइया (छात्रावास)	8* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5,200— 20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नही होता	18 और 27 वर्ष के बीच **टिप्पणी 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । **टिप्पणी 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा में प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
मैट्रीकुलेशल तथा रसोइये के रूप में दो वर्ष का अनुभव जो केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, नाविक और इंजीनियरी	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(7)
प्रशिक्षण संस्थान कोच्ची द्वारा संचालित खाना बनाने के कौशल परीक्षण पास करने के अध्यधीन है ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :— 1. निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, नाविक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान —अध्यक्ष 2. उप निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, इंजीनियरी और प्रशिक्षण —सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, इंजीनियरी और प्रशिक्षण संस्थान —सदस्य 4. एक समूह 'क' अधिकारी जिसके अधीन समूह 'ग' कार्यरत हैं —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. रसोइया श्रेणी-I (जलयान)	3* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसे रसोइया जिनकी वेतन बैंड-1, 5,200—20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वहां तीन वर्ष की नियमित सेवा है।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :— 1. निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, नाविक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान —अध्यक्ष 2. उप निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, इंजीनियरी और प्रशिक्षण —सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, नाविक इंजीनियरी और प्रशिक्षण संस्थान —सदस्य 4. एक समूह 'क' अधिकारी जिसके अधीन समूह 'ग' कार्यरत हैं —सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 3-38/2011-मा. प्रशा.]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 17th May, 2013

G.S.R. 139.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Fisheries Operatives (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules, 1968, in so far as they relate to the posts of Masalchi, Cook and the Central Institute of Fisheries Operatives (Group C) Recruitment Rules, 1977, in so far as they relate to the posts of Head Cook and Senior Deck Hand-cum-Cook except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Cook (Hostel) and Cook Grade I (Vessel) in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Kochi, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Kochi, Cook (Hostel) and Cook Grade I (Vessel) Recruitment Rules, 2013.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, Classification and pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power of relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to the recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or Pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Cook (Hostel)	8* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-I 5200—20200 plus grade pay of Rs. 1800	Not applicable	Between 18 and 27 years of age **Note 1** : The crucial date of determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State and Spiti and Lahaul District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note. 2** : In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit, in each case, shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Matriculation with two years' experience as a cook, subject to cleaning the skill test in cooking to be conducted by the Central Institute of Fisheries, Nautical Engineering and Training, Kochi	Not applicable	Two years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorpiton and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment.	Not applicable.

If a Department Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group "C" Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Director, Central Institute of Fisheries, Nautical Engineering and Training —Chairman 2. Deputy Director, Central Institute of Fisheries, Engineering and Training —Member 3. Senior Administrative Officer, Central Institute of Fisheries, Nautical Engineering and Training —Member 4. A Group 'A' Officer under whom the Group 'C' is working —Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Cook Grade I (Vessel)	3* (2013) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Pay band-1 Rs. 5,200—20,200 plus grade pay of Rs. 2000	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)
By promotion	**Promotion** : Cook in Pay Band (PB-1) of Rs. 5200—20200 plus grade pay of Rs. 1800/- with three years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.

(12)	(13)
Group 'C' Department Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Director, Central Institute of Fisheries, Nautical Engineering and Training—Chairman. 2. Deputy Director, Central Institute of Fisheries, Engineering and Training—Member. 3. Senior Administrative Officer, Central Institute of Fisheries, Nautical Engineering and Training—Member. 4. A Group 'A' Officer under whom the Group 'C' is working—Member.	Not applicable.

[F. No. 3-38/2011-Fy.Admn.]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.